



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली

दिनांक 20.04.2025

- थाना सिम्भावली पुलिस की चेकिंग के दौरान गोकश बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक घायल सहित 02 बदमाश गिरफ्तार।
- जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय जिंदा व खोखा कारतूस, एक मोटर साइकिल व गौकशी करने के उपकरण बरामद।
- मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश (आमिर) अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था, जिसको भी थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
- गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के गोकश अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़ में गोकशी, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित करीब 02 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बाद मुठभेड़ एक घायल सहित 02 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय जिंदा व खोखा कारतूस, एक मोटर साइकिल व गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान:- बढडा नहर से बक्सर रेगुलेटर वाले रास्ते से, **दिनांक-** 19.04.2025।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. शौमीन उर्फ मन्नू पुत्र यामीन निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली थाना सिम्भावली जनपद हापुड। (घायल)
2. आमिर पुत्र छोटे उर्फ रहीसुदीन निवासी ग्राम दौताई थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।



बरामदगी का विवरण:-

1. एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस.315 बोर ।
2. गौकशी करने के उपकरण ।
3. एक मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम युगा बिना नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्त शौमीन उर्फ मन्नु उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 324/2014 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
2. मु0अ0सं0 364/2014 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
3. मु0अ0सं0 365/2014 धारा 414 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
4. मु0अ0सं0 466/2015 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
5. मु0अ0सं0 158/2017 धारा 354बी भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
6. मु0अ0सं0 280/2017 धारा 147,452,323,506 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
7. मु0अ0सं0 372/2017 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
8. मु0अ0सं0 268/2018 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
9. मु0अ0सं0 284/2018 धारा 379 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
10. मु0अ0सं0 312/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
11. मु0अ0सं0 40/2021 धारा 307 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
12. मु0अ0सं0 43/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
13. मु0अ0सं0 115/2021 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
14. मु0अ0सं0 63/2022 धारा 379,411 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
15. मु0अ0सं0 160/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
16. मु0अ0सं0 333/2022 धारा 393,323 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
17. मु0अ0सं0 359/2022 धारा 307 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
18. मु0अ0सं0 360/2022 धारा 3/25/28 आयुध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
19. मु0अ0सं0 193/2023 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
20. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 109,317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।

2. अभियुक्त आमिर उपरोक्त कुमार उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 650/2021 धारा 9 आयुध अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
2. मु0अ0सं0 332/2022 धारा 380,457,411 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
3. मु0अ0सं0 345/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
4. मु0अ0सं0 381/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
5. मु0अ0सं0 576/2021 धारा 379,411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
6. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 109,317(2) बीएनएस थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सुमित तोमर थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
2. उ0नि0 श्री महन्थराज यादव थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 श्री निर्भय सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
4. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
5. उ0नि0 श्री राजदीप दिनकर थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
6. है0का0 595 फरमान अली थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
7. का0 247 अंकित कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
8. का0 770 योगेश कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
9. का0 26 सचिन पंवार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
10. का0 523 दिनेश कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।